राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3, महात्मा गांधी नरेगा) शासन सचिवालय, जयपुर

क्रमांकः–एफ 11(8)ग्रावि / नरेगा / पद सृजन / 2016 / 93342 जयपुर, दिनांक : 25 MAY 2017

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस
एवं जिला कलक्टर,
जिला समस्त राजस्थान

विषयः– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत संविदा पर कनिष्ठ तकनीकी सहायक एवं लेखा सहायक के रिक्त पदों को भरने के क्रम में

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प–1(4) वित्त / नियम / 2011 दिनांक 29.04.2011 एवं 17.06.2011 द्वारा संविदा पर नियुक्ति पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था।

महात्मा गांधी नरेगा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एंव प्रबन्धन साथ ही कार्यों की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु कनिष्ठ तकनीकी सहायकों के 360 पदों तथा लेखा सहायकों के 367 पदों को संविदा पर दिनांक 28.02.18 तक नियमानुसार भरने की वित्त विभाग द्वारा निम्न शर्तों के अनुसार प्रदान की गई है :–

1. वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 27.06.2014 एवं केन्द्र सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।
2. उक्त पदों पर होने वाला व्यय विभाग द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत सरकार द्वारा अनुमत 6 प्रतिशत की सीमा में रखा जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत संविदा पर कनिष्ठ तकनीकी सहायक एवं लेखा सहायक के रिक्त पदों को भरने के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जानी है :–

1. उक्त पदों का चयन केवल संविदा आधार पर जिला स्तर से विज्ञापन जारी कर आवेदन आमन्त्रित किये जाने है। उक्त संविदा पदों पर नियोजन हेतु कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 12.10.2015 **(प्रति संलग्न)** के अनुसार आरक्षण देय होगा।
2. जिला स्तर पर चयन हेतु एक समिति का गठन किया जाना है जिसमें अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, जिला कलक्टर के प्रतिनिधि सदस्य होंगे तथा अधिशाषी अभियन्ता (महात्मा गांधी नरेगा) एवं जिला परिषद के लेखाधिकारी / सहायक लेखाधिकारी सदस्य होंगे। जल ग्रहण विभाग के परियोजना प्रबन्धक अथवा अधीक्षण अभियन्ता तकनीकी सदस्य होंगे।
3. कनिष्ठ तकनीकी सहायक का मानदेय विभाग के आदेश दिनांक 28.12.2010 के अनुसार 13000 रूपये प्रतिमाह होगा जिसमें, रूपये 3000 ग्रामीण भत्ता एवं रूपये 2000 यात्रा भत्ता शामिल है।
4. लेखा सहायक का मानदेय रूपये 8000 / – प्रतिमाह देय है।

5. इन कनिष्ठ तकनीकी सहायकों एवं लेखा सहायकों की अनुबन्ध अवधि 28.02.2018 के पश्चात् बढाये जाने की स्थिति में इनकी एक वर्ष की सेवा संतोषजनक रहने पर उनके मूल मानदेय रूपये 8000 प्रतिमाह पर 5 प्रतिशत वार्षिक मानदेय वृद्धि देय होगी।
6. चयनित किये गये कनिष्ठ तकनीकी सहायकों/लेखा सहायकों से अनुबन्ध किये जाने से पूर्व उनके द्वारा प्रस्तुत मूल दस्तावेज यथा अंक तालिका, डिग्री, प्रमाण पत्र आदि का सत्यापन किया जावे। यह भी सुनिश्चित कर लिया जावे कि उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज उत्तर पूर्व राज्यों एवं अन्य राज्यों के फर्जी संस्थानों से तो नहीं प्राप्त किये है।
7. भारत सरकार के दिशा निर्देश दिनांक 21.08.2014 में दी गयी संलग्न शर्त संख्या–3(b&c) अनुसार तकनीकी सहायकों को कुशल कामगारों के रूप में सामग्री मद की अलग से 1 प्रतिशत निर्धारित राशि से मानदेय का भुगतान किया जावेगा। इस हेतु कार्यों के तकमीने में पृथक से प्रावधान किया जाना आवश्यक है।
8. कनिष्ठ तकनीकी सहायकों के रिक्त पदों को केवल सिविल अभियान्त्रिकी में डिग्री या डिप्लोमाधरी तथा कृषि ईंजीनियरिंग में बीई या बीटेक डिग्रीधारी अभ्यार्थियों से ही पूर्ण पारदर्शिता से भरा जावे।
9. लेखा सहायक के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय अथवा उसके अधीन महाविद्यालय से बी.कॉम/सी.ए. इन्टरमिडियेट (आई.पी.सी.)/आई.सी.डब्ल्यू.ए. (इन्टर)/कंपनी सैकेट्री (इन्टर) योग्यता रहेगी।
10. दोनों पदों के आवेदकों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिये। निम्नलिखित श्रेणी के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार आयु सीमा में छूट देय है :–

    (i) राजस्थान राज्य के अ.जा./अ.ज.जा. तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमिलेयर) के पुरूष अभ्यर्थी या सामान्य प्रवर्ग की महिला अभ्यर्थी के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट।

    (ii) राजस्थान राज्य की अ.जा./अ.ज.जा. तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमिलेयर) के महिला अभ्यार्थी के लिए ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट।

    (iii) भूतपूर्व सैनिकों के लिए ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष होगी।

    (iv) विधवाओं एवं तलाकशुदा महिला के मामलों में कोई आयु (अधिवार्षिकी तक) सीमा नहीं होगी।
11. इन पदों के आवेदनों की छंटनी/चयन के संबंध में जो भी आधार रखे जावे उनको प्रकाशित की जाने वाली विज्ञप्ति में शामिल किया जावे। जारी विज्ञप्ति को कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा किया जावे।
12. अंतिम रूप से नियोजित कनिष्ठ तकनीकी सहायक एवं लेखा सहायक के साथ जिला स्तर से ही अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा अनुबन्ध करेगें, उसमें कनिष्ठ तकनीकी सहायक एवं लेखा सहायक को पंचायत समिति विशेष हेतु अनुबन्धित करने के स्थान पर जिले की किसी भी पंचायत समिति में कार्य करने हेतु अनुबन्धित किया जावेगा, ताकि जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा आवश्यकता अनुसार जिले की किसी भी पंचायत समिति में इन्हें नियोजित किया जा सके।

13. इन पदों पर अभ्यार्थियों के चयन के संबंध में सूचना के अधिकार अधिनियम अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति द्वारा सूचना प्राप्त की जा सकती है। अतः अभ्यार्थियों के Selection/Rejection का पर्याप्त आधार एवं चयन प्रक्रिया का पूर्ण रिकॉर्ड रखते हुए पूर्ण पारदर्शिता के साथ चयन के संबंध में कार्यवाही की जानी है।

14. विभाग के आदेश दिनांक 07.09.2016 द्वारा 550 कनिष्ठ तकनीकी सहायक के पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। उन पदों को सम्मिलित करते हुए किसी भी स्थिति में जिले को निर्धारित आवंटित पदों से अधिक पदों को नहीं भरा जावे। लेखा सहायक के पंचायत समिति/ग्राम पंचायत में आवंटित पदों में से रिक्त पदों को ही भरा जाना है। किसी भी स्थिति में आवंटित पदों से अधिक संख्या में पदों को नहीं भरा जावे। जिलेवार कनिष्ठ तकनीकी सहायक एवं लेखा सहायक के आवंटित पदों की स्थिति परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

भवदीय

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(मनीष चौहान)
शासन सचिव एवं आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, मा0 मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंरावि।
2. विशिष्ठ सहायक, मा0 राज्य मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंरावि।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, ईजीएस।
6. परियोजना निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस।
7. अतिरिक्त आयुक्त प्रथम, ईजीएस
8. वित्तीय सलाहकार, ईजीएस।
9. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस समस्त राजस्थान।
10. अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस, जिला परिषद समस्त राजस्थान।

अतिरिक्त आयुक्त प्रथम, ईजीएस